न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 484/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हिरकनराम पुत्र वागाराम उर्फ वागला 2. धाई बैवा वागाराम उर्फ वागला, जातियान–विश्नोई, निवासीगण लियादरा, तहसील–सांचौर, जिला–सांचौर।		1. चन्दनाराम पुत्र उदाराम 2. जयकिशन पुत्र उदाराम जातियान–विश्नोई, निवासीगण–लियादरा, तहसील–सांचौर, जिला–सांचौर। 3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से वकील श्री सदराम विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर।

–: निर्णय :– **दिनांक 13.05.2024**

वादीगण ने एक राजस्व वाद ग्राम लियादरा के संयुक्त खातेदारी के खेत जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का है जिसमें कुल भूमि में 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी की है व 8 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 247, 248, 249, 250, 250/468 रकबा क्रमशः 6.38, 0.03, 0.03, 1.71, 0.01 हैक्टर जुमले रकबा 8.16 हैक्टर जो संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस सम्पूर्ण खेत में से 8 बीघा भूमि वादीगण के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान की जिसमें पूर्वी भाग की भूमि वादीगण के पिता वागाराम उर्फ वागलाराम पुत्र सुरजनजी नाम का खसरा नम्बर 73, 74 के नाम सम्पूर्ण भूमि ली उसमें से 8 बीघा भूमि प्रतिवादीगण 1 व 2 को बैचान की गई। शेष भूमि वादीगण की खातेदारी की रही। हमारे खेत के आथूणे भाग में हमारे हिस्से के खेत का एक कौना रोड़ से लगता है जो हमारे आवागमन के काम आता है परंतु प्रतिवादीगण कई बार उस रास्ते को वादपत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में मार्क 0 स्थान पर कंटीली झाड़िया डालकर रास्ता रोक देते है व वादीगण के खेत में आवागमन में बांधा उत्पन्न करते है व प्रतिवादीगण वादीगण के खेत के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करते है व शामलाती खातेदारी का आधार मानकर कई तरह की बाधा कारित करते है व शामलाती खातेदारी होने से काश्त में समस्या पेदा होने का जिक्र किया तथा वादग्रस्त भूमि का मौके पर विभाजन के समय से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भूमि अलग से माफिक नजरी नक्शा पीले रंग से दर्शाया भाग प्रदान करने का कथन किया है तथा उनके आवागमन का रास्ता नजरी नक्शे में मार्क 0 से X स्थान तक प्रदान किया हुआ है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सामलाती खातेदारी होने के आधार पर कई बार नजरी नक्शे में मार्क 0 स्थान पर रास्ता अवरूद्ध कर हमारा आवागमन प्रभावित करते है। जिसमें हमारे खेत में तथा खेत से बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है तथा यह भी कथन किया है कि मौके पर वाद पेश उससे पूर्व 20 वर्ष से भूमि अलग अलग है परन्तु राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है जिसके आधार पर वाद पेश होने के पांच रोज पूर्व रास्ता अवरूद्ध करना बताया जिससे वाद बाबद बंटवाडा व रास्ते के आवागमन में व खातेदारी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है ताकि वादीगण अपने खातेदारी का सही उपयोग व उपभोग कर सके तथा वाद का विनाय पैदा होने का कारण वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 का अलग से कब्जा प्रदान कर वाद होने से 20 वर्ष कब्जा करवा दिया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि शामलाती होने के आधार पर वाद पेश होने से पांच रोज पूर्व नजरी नक्शा जो वाद पत्र के साथ पेश है में मार्क 0 स्थान पर रास्ता अवरूद्ध करने पर वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई। इसलिए वाद म्याद के भीतर है। फीस पूर्ण है मामला क्षेत्राधिकार का है। राज्य सरकार से कोई सीधा अनुतोष नही चाहा है व आखिर वादीगण ने मौजा लियादरा के खेत खसरा

नम्बर 247, 248, 249, 250, 250/468 रकबा क्रमशः 6.38, 0.03, 0.03, 1.71, 0.01 हैक्टर जुमले रकबा 8.16 हैक्टर में 8 बीघा सरकारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अलग से कब्जा काश्त की माफिक नजरी नक्शा पीले रंग से दर्शायी गई है तथा हम वादीगण की शेष भूमि लाल रंग से दर्शायी गई अनुसार बंटवाडा की डिक्री व माफिक नजरी नक्शा मार्क 0 से X स्थान की भूमि संयुक्त छोड़ी जावे व बंटवाडे के दौरान बंटवाडा व रास्ते की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमारे भुगत भोग में दखलदांजी नही करे। इस आशय की डिक्री की मांग की।

वादीगण का वाद दिनांक 06.12.2010 को पंजिबद्व होकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किया गया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 11.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी उपस्थित व जवाब का अवसर चाहा व दिनांक 27.12.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 को जवाब का अंतिम अवसर दिया गया व पत्रावली दिनांक 01.01.2015 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश से न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर को प्राप्त हुई। दिनांक 04.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नोटिस रजिस्टर्ड तामिल सुदा होने से व रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद पेश होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब का अवसर दिया जो आगामी पेशी दिनांक 08.09.2020 को राज. पैरोकारी तहसीलदार सांचौर ने राजहित प्रभावित नही होने से जवाब पेश करना आवश्यक नही माना। जिस पर जवाब प्रतिवादी संख्या 3 बंद किया गया व पत्रावली साक्ष्यवादी रही जो साक्ष्य वादी पेश नही करने से पत्रावली दिनांक 02.03.2021 को वास्ते बहस रखी गई व बहस सुनी गई व पत्रावली वास्ते आदेश रखी गई व दिनांक 12.03.2021 व 17.03.2021 को भी पूर्व अनुसार आदेश में रखी गई व कार्य व्यवस्था से आदेश नही लिखवाया गया।

बहस में वादीगण ने बताया कि वादीगण की खातेदारी भूमि 8.16 हैक्टर भूमि में से 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान कर वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शाया पीला भाग माफिक कब्जा करवाया तथा वहाँ काबिज काश्त है। शेष भूमि जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाई है वादीगण की कब्जा काश्त की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बदमाश व्यक्ति है जो हमारा आवागमन का रास्ता मार्क 0 स्थान पर अवरूद्ध करते है सो माफिक रास्ता प्रयोजन का रखा जावे व वाद पत्र के साथ पेश जमाबंदी संवत् 1066 से 2069 की दिनांक 27.08.2010 को जारी की गई की प्रमाणित प्रति पेश की। उसी तारीख का जारी प्रमाणित नम्शा व नजरी नक्शा पेश किया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया गया कि उक्त खसरा नम्बरान् पर उभयपक्षकारों की उपस्थिति में मौके पर जाकर उपभयपक्षकारों के लिए रास्ते का प्रावधान रखते हुए, अंश व कब्जे को ध्यान में रखकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र न्यायालय में पेश करें, जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2022/2584 दिनांक 22.06.2022 को पी.डी. पालना इस न्यायालय में पेश की। उक्त पी.डी. पालना पर अधिवक्ता वादीगण को सुना गया, कोई आपत्ति जाहिर नहीं की जिस पर पी.डी. पालना स्वीकार की जाती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2022/2584 दिनांक 22.06.2022 को प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया गया। माफिक प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार प्रत्येक खातेदार का निम्न हिस्सा बनता है :—

क्र.सं	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1	हिरकनराम पुत्र वागाराम, जाति विश्नोई निवासी लियादरा	247	6.38 हैक्टर
2	चन्दनाराम पुत्र उदाराम 1/2 जयकिशन पुत्र उदाराम 1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	248 249 250/468 250 में से 250 में से	0.03 हैक्टर 0.03 हैक्टर 0.01 हैक्टर 0.80 हैक्टर 0.81 हैक्टर
	कुल खसरे 05		1.68 हैक्टर
3	राजस्थान सरकार (सिवायचक)	2.50 में से	0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता

इस प्रकार पक्षकारान् को मौके पर कब्जा अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार भूमि का बंटवाडा कर नक्शे में अलग अलग रंग भरकर दर्शाये गये है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 हिरकनराम का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाडे में हरे रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चन्दनाराम व जयकिशन का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाडे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार (रास्ता प्रयोजनार्थ) राजस्थान सरकार (सिवायचक) प्रस्तावित बंटवाड़े में लाल रंग से दर्शाया गया है।

अतः तहसीलदार सांचौर को निर्णय की प्रति एवं नक्शा प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार खातेदारान के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में अमलदरामद कर तथा पृथक–पृथक खाते में दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पक्षकारान् अपना– अपना खर्चा वहन करें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर